राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3275/2025

तारामणी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हुई थी। इसके पश्चात आदेश दिनांक 25.09.2009 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति पातेय वेतन पर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 30.09.2009 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने अपनी सेवाएं आदेश दिनांक 02.12.2016 से डीपीसी द्वारा नियमित पदोन्नति प्राप्त होने तक प्रदान की। अपीलार्थी ने दिनांक 30.09.2009 से 15.12.2016 तक, वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि तक प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर कार्य किया है। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद के वेतनमान का हकदार है। अपीलार्थी को उसके पद के अनुरूप वेतन बैंड और वेतनमान से वंचित रखा गया है, जो अवैध एवं मनमाना है और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति पद के लिए रिक्तियों की उपस्थिति और उनकी पात्रता पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे डीपीसी की बैठक देर से गठित की गई। अपीलार्थी ने अपने तर्कों

के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण विजय कुमार डामोर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6547/2011, निर्णय दिनांक 19.09.2012 का हवाला दिया है, जिस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने याची द्वारा पातेय वेतन पर दी गई सेवा का वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए गए है। इसके पश्चात डी.बी. सिविल स्पेशल रिट याचिका संख्या 314/2013 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम विजय कुमार डामोर एवं अन्य में दिनांक 18.11.2013 के आदेश द्वारा दिनांक 19.09.2012 के आदेश को बरकरार रखा गया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी पातेय वेतन पर दी गई सेवाओं के लिए वरिष्ठ अध्यापक पद का वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष